न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/42/20223	2023/303	28–06–2023	29–05–2024

01– सरवण पुत्र मिश्रीलाल जाति जाटव निवारी ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर ।

–: अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

–: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ दिनांक 27.12.2022 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 128/2022

उपस्थितः–
01–श्री जलालुदीन —वकील अपीलाण्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 27.12.2022 प्रकरण संख्या 128/2022 जिसके द्वारा सम्वत 2079 में ग्राम बगड राजपूत की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 386 रकबा 03.89 है0 मे से 0.35 है0 पर गैर सायल अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से सरसों काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.2022 को उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू– अभिलेख निरीक्षक वृत बगड मेव के तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि पटवारी हल्का बगड राजपूत ने एक रिपोर्ट में तहत अदालत में इस आश्य की पेश की है, कि सम्वत 2079 में ग्राम बगड के आराजी खसरा न0 386 रकबा 3.89 है0 मे से 0.35 है0 पर गैर सायल अपीलान्ट अवैध रूप से सरसों काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.202 को उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू– अभिलेख निरीक्षक वृत बगड मेव के तहत न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जिसके बाद अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस मिन अपीलान्ट को जारी किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 27.12.2022 को आलौच्य निर्णय परित करते हुये आदेश दिया गया। कि गैर सायल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर बेदखली के आदेश पारित किये गये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप 03 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने एवं गैर सायल की गिरफतारी हेतु संबंधित पुलिस थाना को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दण्ड स्वरूप लगान 0.70/– रूपये का 50 गुना रूपया 35/–रूपयें पेनल्टी आरोपित की जाकर मॉग कायमी हेतु टी.आर.ए तहसील हाजा को लिखा जावे। पेनल्टी वसूली, फसल नीमाली एवं बेदखली हेतु पटवारी/भू0अ0निरीक्षक को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर फरमायी गयी। प्रार्थी अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा आराजी खसरा नंबर 386 रकबा 03.89 है0 वाके ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर की भूमि में से 0.35 है0 पर किसी प्रकार का कोई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिक्रमण नही किया गया। और नाही किसी प्रकार की कोई फसल बोई गई है। मात्र हल्का पटवारी के प्रार्थना–पत्र व बयान के आधार पर उपरोक्त प्रकरण में तहत न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश सादिर फरमाया गया है। अपीलान्ट की उक्त प्रकरण में तामील हुई और मिन प्रार्थी अपीलान्ट ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया लेकिन तहत अदालत ने प्रार्थी अपीलान्ट के जवाब प्रस्तुत किया गया लेकिन तहत अदालत ने प्रर्थी अपीलान्ट के जवाब से सन्तुष्ट नही होकर प्रार्थी अपीलान्ट के खिलाफ दण्डादेश पारित कर दिया। इसलिये तहत अदालत का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलान्ट का सरकारी चारागाह भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नही रहा है नाही वर्तमान में अतिक्रमण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के आधार पर तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से अपीलान्ट को दण्डित किया गया है। जबकि हल्का पटवारी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है। नाही अपीलान्ट को तहत अदालत द्वारा अन्तर्गत धारा 91(6) का नोटिस दिया गया। विधि का सुस्थापित सिद्विन्त है कि पूर्व निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पेश करने होती है। लेकिन उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर तहत न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया। तहत न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी के बयान साईक्लिोस्टाईल में दिये गये है। तथा न्यायालय आदेश भी प्रिटेन्ड फोरमेट में पहले से छपे हुये आदेश में रिक्त स्थानों कि पूर्ति करते हुये किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपनी पत्रावली की आदेशिका में यह दर्ज किया है। निर्णय पृथक से लिखाया गया है। जोकि न्यायालय कार्यवाही के अनुसार संगत नही है। अपीलाधीन प्रकरण का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में किया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई का व जवाब देही का समुचित अवसर प्राप्त नही हुआ है। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। अपीलान्ट को तहत न्यायालय में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नही किया गया नाही अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। तहत न्यायालय में मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर उक्त आदेश पारित किया गया है। प्रकरण संख्या 128/22 की मिन अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। मिन अपीलान्ट निर्णय के दिन तहत अदालत में उपस्थित नही था। जिस कारण मिन अपीलान्ट को तहत अदालत के उक्त निर्णय की पूर्व मे जानकारी नही हो सकी। इसलिये अपील समयावधि में पेश नही की जा सकी। जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ती नही है। कि 16.06.2023 को तहत अदालत के निर्णय के बाद पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर तहत अदालत के उक्त निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को मोखिक रूप से देने पर हुई। जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट ने नकल के लिये जरिये अधिवक्ता दिनांक 19.06.2023 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 21.06.2023 को तैयार होकर दिनांक 21.06.2023 को नकल वकील साहब को दिखा कर कानूनी राय ली। तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की राय दी जिसके बाद अपील करने के लियें आवश्यक खर्ये का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार करा कर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 16.06.2023 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा मुकदमा संख्या 128/2022 बअनुवान सरकार बनाम सरवण में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट न अपीलाधीन आदेश दिनाक 27.12.2022 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 23.06.2023 को पेश की गयी है। जो करीब 6 माह के विलम्ब पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया। अपीलांट पूर्व में अतिकमी रहा है। जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में अपीलांट को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के उपरांत भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं गया। ना ही पटवारी हल्का के बयान साईक्लोस्टाईल है। जिस कारण अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्य अप्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 27.12.2022 न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.12.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)